संख्या — /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 /TC-I

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्पिंग सेवा हेतु अधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 13 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्पिंग के माध्यम से स्टाम्पों की आपूर्ति हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के अधीन प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– (i) पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्पिंग हेतु केन्द्रीय अभिलेख–अनुरक्षण–अभिकरण अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ पृथक से अनुबन्ध करेंगे। पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध जिला कोषागारों के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

(ii) उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम–156 के अनुसार यद्यपि पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता किसी भी मूल्य वर्ग का ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

(iii) ई–स्टाम्प सृजित करने हेतु पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा लॉगइन आई0डी0 (login ID) एवं पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्प सृजित करने हेतु आवश्यक धनराशि स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के खाते में जमा रखेगें तथा जमा की गयी धनराशि की सीमा तक के मूल्य वर्ग का ई–स्टाम्प सृजित कर सकेगें।

(iv) पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ₹ 500 तक के ई–स्टाम्प ए–4 साईज के सामान्य पेपर पर एवं ₹ 500 से अधिक के ई–स्टाम्प पूर्व मुद्रित सिक्योरिटी कलर पेपर पर प्रिन्ट करेगा।

(v) स्टाम्प विक्रेता द्वारा जारी किये गये प्रत्येक ई–स्टाम्प पर 0.85 प्रतिशत की दर से स्टाम्प विक्रेता को कमीशन देय होगा। कोषागारों द्वारा पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्प के विकय पर देय कमीशन को मासिक आधार पर अगले माह की 07 तारीख तक सृजित ई–स्टाम्पों की धनराशि का मिलान करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। उक्त कमीशन

क्रमशः..2..

स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने अधीन अधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) को दिये जाने वाले कमीशन के अतिरिक्त होगा।

(vi) स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्प के विक्रय हेतु कम्प्यूटर, इन्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि पर होने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति कर सकें, इसलिये स्टाम्प विक्रेता सृजित प्रत्येक ई–स्टाम्प के लिये ₹ 10 प्रति ई–स्टाम्प स्टेशनरी शुल्क के रूप में क्रेता से प्राप्त करेगा।

3– राज्य में वर्तमान में छापित स्टाम्प (पेपर स्टाम्प) एवं ई–स्टाम्प व्यवस्था समानान्तर रूप से चलती रहेगी, किन्तु भविष्य में राज्य में पूर्णतः ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 193 (1)/XXVII(9)/2014/स्टाम्प–42/2008/TC-I तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी (स्टाम्प) हरिद्वार।
6. एरिया मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन, ऑफ इण्डिया लि0 (SHCIL)।.
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।